

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/.....⁴⁴/20-21^{5067/0} राँची, दिनांक: 18-03-2021

प्रेषक:

प्रशान्त कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल जमशेदपुर के अंतर्गत अवर प्रमंडल घाटशिला एवं धालभूमगढ़ तथा लघु सिंचाई प्रमंडल/अवर प्रमंडल, चतरा के कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर/गोदाम/चाहरदीवारी मरम्मत हेतु लागत राशि रु० 84.472 लाख (रुपये चौरासी लाख सैतालीस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल जमशेदपुर के अंतर्गत अवर प्रमंडल घाटशिला एवं धालभूमगढ़ तथा लघु सिंचाई प्रमंडल/अवर प्रमंडल, चतरा के कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर/गोदाम/चाहरदीवारी मरम्मत हेतु लागत राशि रु० 84.472 लाख (रुपये चौरासी लाख सैतालीस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्रावकलन के आधार पर है।
4. प्रस्ताव में कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर/गोदाम/चाहरदीवारी के मरम्मत का प्रस्ताव है।
5. (क) "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-25-भवन / गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45 निर्माण" कार्य अंतर्गत रु० 15.00 लाख का प्रावधान है।
(ख) "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-101-सतही जल उपशीर्ष-25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45 निर्माण" कार्य अंतर्गत रु० 15.00 लाख का प्रावधान है।
6. (क) लघु सिंचाई प्रमंडल जमशेदपुर के अंतर्गत अवर प्रमंडल घाटशिला एवं धालभूमगढ़ के कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर/गोदाम/चाहरदीवारी मरम्मत कार्य पर होने वाला व्यय की राशि रु० 56.985 लाख रुपये (छप्पन लाख अन्तानबे हजार पाँच सौ) मात्र "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष-25-भवन / गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45 निर्माण" कार्य के अधीन प्राप्त बजट उपबंध में भारित होगा।
(ख) लघु सिंचाई प्रमंडल/अवर प्रमंडल, चतरा के कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर/गोदाम/चाहरदीवारी मरम्मत कार्य पर होने वाला व्यय की राशि रु० 27.487 लाख रुपये (सत्ताईस लाख अड़तालीस हजार सात सौ) मात्र "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-101-सतही जल उपशीर्ष-25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45 निर्माण कार्य के अधीन प्राप्त बजट उपबंध में भारित होगा।
7. स्वीकृत कार्य के लिए निकाशी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर/चतरा एवं नियंत्रण पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होंगे।
8. स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2021-2022 में पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है।
9. योजना के मरम्मत कार्य के गुणवत्ता की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभाग के परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार द्वारा की जाएगी।
12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
13. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. इस कार्य के राशि की निकासी जमशेदपुर/ चतरा कोषागार से की जाएगी।
15. इन कार्यों का समावेश वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध में समेकित रूप से है।
16. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
17. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशान्त कुमार)

सचिव,

राँची, दिनांक: 18.03.21

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव,

राँची, दिनांक: 18-03-21

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, जमशेदपुर/ चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव,

राँची, दिनांक: 18-03-21

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल चाईबासा/हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्र०, जमशेदपुर/ चतरा एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कड़िकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-यथोक्त।

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव,

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/...../...../.....
प्रतिलिपि: आयुक्त कोल्हान प्रमंडल चाईबासा /उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु०:-यथोक्त।

44/20-21 सं. ६०/६०
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/...../...../.....
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।

44/20-21 सं. ६०/६०
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-212/2018/...../...../.....
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
अनु०:-यथोक्त।

44/20-21 सं. ६०/६०
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव,